REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

भागलपुर जिला में भूमि उपयोग एवं कार्यशील श्रम अनुपात का कृषि पर प्रभाव : एक अर्थशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. पुरूषोत्तम कुमार
स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर .

सार :
वर्तमान अध्ययन भागलपुर जिला में भूमि उपयोग एवं कार्यशील श्रम अनुपात का कृषि पर प्रभाव पर केंद्रित है। कृषि उत्पादकों में मुख्य उत्पादन कारक भूमि और श्रम है। भागलपुर जिले में कुल जनसंख्या का 52.44 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है जो भारत और बिहार की तुलना में अधिक है। देश में कृषि क्षेत्र हो या गैरकृषि क्षेत्र दोनों ही में कार्यशील श्रमिकों (जनसंख्या) की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है तथा भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उचित एवं उत्पादकतापूर्ण भूमि उपयोग (कृषि व गैर कृषि क्षेत्र में) एवं कार्यशील श्रम का उचित विदोहन आवश्यक हो गया है। भागलपुर जिले की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना पिछड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक हैं जिसमें उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा अन्य तृतीयक सेवाओं का महत्व अति न्यून है। जिसके कारण यहां के गरीब कृषक एवं कृषि श्रमिक अन्य रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों एवं राज्यों में पलायन कर रहे हैं। सामान्यतः भूमि उपयोग व्यावसायिक संरचना का भौतिक स्वरूप है। इस संरचना में प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि व कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय, द्वितीयक क्षेत्र जैसे लघु व कुटीर तथा विनिर्माणी उद्योग, तृतीयक क्षेत्र जैसे वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवायें, बैंकिंग व बीमा तथा शासकीय व अशासकीय सेवाओं में लगी भूमि उपयोग का बड़ा महत्व हैं। इन कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का भूमि उपयोग से अनुपात अध्ययन को एक नयी दिशा प्रदान करता है।

मुख्य शब्द : भूमि उपयोग, कार्यशील श्रम, शुद्ध कृषिगत क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र, मुख्य श्रमिक, सीमान्त श्रमिक एवं अश्रमिक।

भूमिका

भूमि व श्रम उत्पत्ति अन्य साधनों के साथ मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। अतः अन्य आर्थिक साधनों के साथ–साथ प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन एवं उनका सही अनुपात आवश्यक होता है, क्योंकि जिस देश में प्राकृतिक साधन मौजूद होने पर भी मानवीय संसाधन (जनसंख्या) यदि सीमित है तो वहां प्राकृतिक संसाधनों (भूमि) का पूर्ण रूपेण विदोहन सम्भव नहीं होता है। दूसरी ओर जहां जनसंख्या अधिक हैं किन्तु प्राकृतिक साधन (भूमि) सीमित है वहाँ भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जाता है। ऐसे में जनसंख्या के अनुपात में भूमि का उचित प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग एवं कार्यशील श्रम अनुपात का अध्ययन किया गया है।

भूमि उपयोग

कृषि उत्पादकों में प्रथम मुख्य उत्पादन कारक भूमि है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। जिस क्षेत्र में प्रकृतिक देन विशाल होती के है वे आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक उपहारों से

सीमितता वाला क्षेत्र सुगमता से आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। देश के सभी प्राथमिक उद्योग उत्पादन के लिये मुख्यतः भूमि पर निर्भर होते हैं तथा निर्मित उद्योग के लिये भी आवश्यक कच्चा माल भूमि से ही प्राप्त होत है।[1]

सामान्यतः भूमि उपयोग की दृष्टि से भूमि का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो वर्ग में होता हैं– (1) गैर कृषि क्षेत्र एवं (2) कृषिगत क्षेत्र।

गैर कृषि क्षेत्र

गैर कृषि क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में भूमि का प्रयोग सम्भव होता है – जैसे वन व वनोपज पर आधारित उद्योग, (आवासीय उपयोग, औद्योगिक उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग में भूमि उपयोग, मनोरंजन व जलाशय (जैसे – नदी, नहरें, तालाब, कुंआ आदि) में भूमि उपयोग, चारागाह भूमि उपयोग, बंजर भूमि (रेगिस्तान, पहाड़, टीले), कृषि योग्य बेकार भूमि, परती भूमि आदि गैर कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। शहरीकरण की बढ़ती प्रवृतियों के कारण आवासीय, ओद्योगिक, वाणिज्यिक एवं यातायात में भूमि उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर जंगल की कटाई, सिंचाई साधनों का अभाव, भूमि कटाव एवं कृषकों की कमजोर आर्थिक स्थिति भी परती भूमि में वृद्धि कर रही हैं. इन सब बातों का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि, परती भूमि में वृद्धि, ओद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, यातायात के साधनों में वृद्धि के साथ ही साथ तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या ने कृषि क्षेत्र पर दबाब डाला है।

कृषिगत क्षेत्र

यह भूमि का वह क्षेत्र है जो केवल कृषि के लिये उपयोग में लाया जाता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र से उक्त गैर कृषिगत क्षेत्र को घटा देने पर जो शेष क्षेत्र बचता है वह शुद्ध कृषिगत क्षेत्र (Net Cropped Area) कहलाता है। शुद्ध कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में एक बार से अधिक कृषि किये जाने वाले क्षेत्र को सम्मिलित करने पर प्राप्त भूमि का क्षेत्र सकल कृषि क्षेत्र (Gross Cropped Area) कहलाता है। भागलपुर जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्र 2569 वर्ग किलोमीटर भूमि है।[2] जिसमें शुद्ध कृषि क्षेत्र 44.49 प्रतिशत तथा शेष गैर कृषिगत क्षेत्र 66.51 प्रतिशत है जो जिले का शुद्ध कृषित क्षेत्र है। सकल कृषित क्षेत्र का 82.4 प्रतिशत है तथा एक बार से अधिक बोये जाने वाला क्षेत्र अर्थात् द्विफसली क्षेत्र 17.6 प्रतिशत है।

कार्यशील श्रम

उत्पादन का दूसरा प्रमुख कारक श्रम है। श्रम से तात्पर्य शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के श्रम से है जो धन प्राप्त करने के लिये किया जाता है। जे.बी. क्लार्क के शब्दों में – ''धन का अर्जन करने वाला मानवीय प्रयास श्रम कहलाता है।''[3]

श्रम कारक का पूर्ति करने वाला मनुष्य श्रमिक कहलाता है। इस प्रकार कार्यशील व्यक्ति के अन्तर्गत वह व्यवित आता है जो आर्थिक रूप से उत्पादन कार्य में संलग्न हो. इस प्रकार संलग्नता एवं सहभागिता शारीरिक या मानसिक किसी तरह की हो सकती है। इसके अन्तर्गत वास्तविक कार्य ही नहीं वरन् प्रभावशाली पर्यवेक्षण तथा दिशा निर्देशन जैसा कार्य भी शामिल है। भागलपुर जिले में कुल जनसंख्या का 52.44 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है जो भारत और बिहार की तुलना में अधिक है।

कार्यशील श्रम की श्रेणी

कार्यशील श्रम को 2011 की जनगणना में तीन श्रेणी में रखा गया है[4] –

(1) मुख्य श्रमिक – जिन व्यक्तियों ने पूरे वर्ष में कम से कम छः महीने तक परिभाषित वर्षों में आर्थिक क्रियाकलापों में कार्य किया हो, मुख्य श्रमिक कहा गया है।

(2) सीमान्त श्रमिक – जिन व्यक्तियों ने तीन माह या उससे अधिक एवं छः महीने से कम समय तक परिभाषित वर्षों में आर्थिक क्रियाकलापों में कार्य किया हो, सीमान्त श्रमिक कहा गया है।

(3) अश्रमिक वर्ग – परिभाषित वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों ने आर्थिक क्रियाकलापों में कोई कार्य न किया हो उन्हें अश्रमिक या गैर श्रमिक वर्ग में रखा गया।

जिले में कार्यशील श्रम श्रेणी को पुरूष–महिला अनुपात में तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1 में मुख्य श्रमिक, सीमान्त श्रमिक एवं अश्रमिक वर्ग के अन्तर्गत पुरूष–महिला अनुपात में कार्यशील श्रम की श्रेणी को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य श्रमिक 534129 अर्थात् 17.58 प्रतिशत है, जिनमें 27.95 प्रतिशत पुरुष एवं 5.80 प्रतिशत महिला है। जबकि सीमान्त श्रमिक 449399 अर्थात् 14.79 प्रतिशत है, जिनमें 17.85 प्रतिशत पुरुष एवं 11.32 प्रतिशत महिला है। मुख्य एवं सीमान्त दोनों श्रमिक वर्गों के अन्तर्गत महिलाओं की तुलना में पुरूषों का प्रतिशत अधिक है। तालिका से स्पष्ट है कि अश्रमिक वर्ग की संख्या 2054238 है, जिसमें पुरूषों का प्रतिशत 54.19 तथा महिलाओं का 82.88 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि पुरूषों की तुलना में महिलायें अधिक बेरोजगार है।

तालिका 1 : कार्यशील श्रम श्रेणी पुरूष–महिला अनुपात में वर्ष 2011 की स्थिति में कार्यशील श्रमिक संख्या वर्ष 1991 की स्थिति में

क्र.सं.	कार्यशील श्रम श्रेणी	कार्यशील श्रमिक संख्या वर्ष 2011 की स्थिति में	प्रतिशत
1	मुख्य श्रमिक	534129	17.58
	पुरूष	451588	27.95
	महिला	82541	5.80
2	सीमान्त श्रमिक	449399	14.79
	पुरूष	288468	17.85
	महिला	160931	11.32
3	अश्रमिक वर्ग	2054238	67.62
	पुरूष	875607	54.19
	महिला	1178631	82.88

Source : District Census Handbook Bhagalpur, 2011, Series-11, Part XII-B

कार्यशील जनसंख्या का विभाजन

वर्ष 2011 की जनगणना में श्रमिकों को या कार्यशील जनसंख्या को चार वर्गों में रखा गया है।[5]

(क) कृषक : प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति कृषक है। चाहे वह भूमि पर नियोक्त हो या स्वयं कार्य करता हो किन्तु जिस व्यक्ति ने मुद्रा अर्जन के लिये अपनी भूमि अन्य व्यक्ति को दे दी है तथा जो स्वयं कृषि का निरीक्षण य निर्देशन न करता हो वह कृषक की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा। इसी प्रकार दूसरों की भूमि पर मजदूरी या अन्य प्रकार के पारेश्रमिक के लिये काम करने वाले व्यक्ति भी कृषक नहीं कहलायेंगे।

(ख) कृषि श्रमिक : कृषि श्रमिकों की परिभाषा में बहुत विभिन्नता है साधारण शब्दों में कृषि श्रमिकों का तात्पर्य उन श्रमिकों से है जो अपना श्रम कृषि फार्म पर कार्यों के बदले नकद या वस्तु के रूप में मजदूरी प्राप्त करके विक्रय करते है। प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति (1950–51) के अनुसार ने श्रमिक, ''जो वर्ष में कुल कार्यरत अवधि के आधे से अधिक समय कृषि व्यवसाय (फसल उत्पादन मत्रा) में श्रम करके रोजगार प्राप्त करते हैं, कृषि श्रमिक कहलाते हैं। इसके अन्तर्गत कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय जैसे – पशुपालन, दुध उद्योग, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि में किया गया। श्रम सम्मिलित नहीं किया गया है।'' किन्तु द्वितीय कृषि श्रमिक जाँच समिति (1956–57) के अनुसार –''फसल उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कृषि कार्यों जैसे पशु पालन, दुध उद्योग, बागवानी, कुक्कुट पालन में कार्य करने वाले श्रमिकों की कृषि श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।''[6]
जनगणना आयोग 1961 के अनुसार – ''कृषि श्रमिक वे है जो दूसरों के फार्म पर कार्य करते हैं और कार्य के लिये नकद या वस्तु के रूप में, मजदूरी प्राप्त करते हैं, श्रमिकों को फार्म पर उत्पादन, प्रबंध, संचालन आदि के निर्णय लेने के अधिकार नहीं होते और न ही उन्हें उस भूमि को जिस पर वे कार्य करते हैं, बन्धक रखने, विक्रय करने या पट्टे पर देने का अधिकार होता है। श्रमिक भूमि से प्राप्त लाभ अथवा हानि के लिये भी जिम्मेदार नहीं

होते, श्रमिकों को कृषि श्रमिकों की श्रेणी में आने के लिये उस मौसम या पिछले मौसम में कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना आवश्यक होता है।"[7]

(ग) पारिवारिक उद्योग (घरेलू उद्योग) : वे उद्योग जो लघु पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के मुखिया द्वारा घर की सीमाओं में ही प्रारम्भ या क्रियान्वित किये जाते है। पारिवारिक या घरेलू उद्योग कहलाते हैं। गृह उद्योग उत्पादन, प्रोसेसिंग, सर्विसिंग, मरम्मत तथा बिक्री से संबंधित होते है किन्तु इसके अन्तर्गत अधिवक्ता, चिकित्सक, नाई, धोबी जैसे सम्बन्धित व्यवसाय सम्मिलित नहीं है।

(घ) अन्य श्रमिक : वे श्रमिक जो कृषक या कृषि श्रमिक अथवा घरेलू उद्योग में नहीं आते किन्तु विगत एक वर्ष से किसी न किसी कार्य में संलग्न है अन्य श्रमिक कहलाते हैं।

कार्यशील श्रम के उक्त विभाजन के आधार पर भागलपुर जिले के अन्तर्गत कार्यशील श्रमिकों का विभाजन तालिका 2 में दिखाया गया है।

तालिका 2 : जिले में कार्यशील श्रम का विभाजन (प्रतिशत में)

कार्यशील श्रम विभाजन	2001	2011	प्रतिशत परिवर्तन
कृषक	15.31	13.74	-1.57
कृषि श्रमिक	52.26	48.32	-3.94
परिवारिक श्रमिक	5.11	5.32	+0.21
अन्य कार्य	27.32	31.79	+4.47

Source : District Census Handbook Bhagalpur, 2001 & 2011

तालिका 2 में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील श्रमिकों के विभाजन को दिखाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में कृषकों का प्रतिशत 15.31 था, जबकि वर्ष 2011 में घटकर यह 13.74 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 1.57 प्रतिशत कृषकों में कमी आयी। इसी प्रकार कृषि श्रमिकों का प्रतिशत भी वर्ष 2011 में 2001 की तुलना में कम हुआ है। जैसे कि तालिका 2 से स्पष्ट है कि 2001 में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 52.26 था जो वर्ष 2011 में घटकर 48.32 हो गया, इस प्रकार 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 3.94 प्रतिशत कृषि श्रमिकों में कमी आयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2001 से 2011 तक कृषक एवं कृषि श्रमिक दोनों ही प्रकार के कार्यशील श्रमिक कम हुए हैं। इसका मुख्य कारण भागलपुर का जिले से अन्य राज्यों में काम की खोज में पलायन होना है। जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र पिछड़ता में मजदूरों की कमी महसूस की जा रही है।

भागलपुर जिले में वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवायें, बैंकिंग, बीमा तथा शासकीय व अशासकीय सेवाओं में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप अन्य कार्यों में श्रमिकों के प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हुई। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में अन्य कार्यशील श्रमिकों का प्रतिशत मात्र 27.32 था जो वर्ष 2011 में 31.79 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 2001 की तुलना में 2011 में 4.47 प्रतिशत की वृद्धि अन्य कार्यशील श्रमिकों में हुई। इसी प्रकार पारिवारिक उद्योग में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 0.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तालिका 3 में कार्यशील श्रम विभाजन को पुरुष–महिला अनुपात में दिखाया गया है।

तालिका 3 : जिले में कार्यशील श्रम विभाजन (पुरूष–महिला अनुपात प्रतिशत में)

कार्यशील श्रम विभाजन	2001		2011		प्रतिशत परिवर्त्तन	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
कृषक	15.31	9.37	14.97	10.01	-0.34	-0.64
कृषि श्रमिक	47.24	58.18	45.63	56.48	-1.61	+1.30
परिवारिक श्रमिक	6.11	10.24	4.94	9.83	-1.17	-0.41
अन्य कार्य	31.34	22.21	34.46	23.68	+3.12	+1.47

Source : District Census Handbook Bhagalpur, 2001 & 2011

तालिका 3 में कार्यशील श्रम विभाजन के पुरूष–महिला अनुपात के तुलनात्मक विश्लेषण को वर्ष 2001 व 2011 में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में दिखाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में पुरूष कृषक की संख्या 2011 की तुलना में अधिक थी अर्थात् वर्ष 2011 में पुरूष कृषक की संख्या में 0.34 प्रतिशत की कमी आयी, जबकि महिला कृषक संख्या में 1.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर पुरूष कृषि श्रमिक (खेतिहर मजदूर) में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 0.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि महिला कृषि श्रमिकों में 0.61 प्रतिशत की कमी आयी। पारिवारिक उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 2011 में 2001 की तुलना में पुरूष व महिला दोनों ही कार्यशील श्रमिक में कमी आयी यह कमी पुरूषों में 1.17 प्रतिशत और महिलाओं में 0.41 प्रतिशत थी। लेकिन अन्य कार्य के अन्तर्गत पुरूषों एवं महिलाओं का प्रतिशत 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ा है। पुरूषों में 3.12 प्रतिशत एवं महिलाओं में 1.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार महिलाओं की तुलना में पुरूषों में यह वृद्धि अधिक है। कृषक श्रमिक (पुरूष व महिलायें), कृषि पुरूष श्रमिक एवं पारिवारिक उद्योग में महिला व पुरूष दोनों ही कार्यशील श्रमिक की कमी का परिणाम यह रहा कि वर्ष 2011 में कुल गैरकार्यशील जनसंख्या के पुरूष व महिला श्रमिक दोनों ही के प्रतिशत में वृद्धि हुई।

तालिका 4 : भूमि उपयोग एवं कार्यशील श्रम अनुपात (प्रतिशत में)

कार्यशील श्रम विभाजन	कृषि क्षेत्र में कार्यशील श्रम	गैर कृषि क्षेत्र में कार्यशील श्रम
2001	92.79	88.21
2011	111.36	112.47

स्त्रोत : वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनाओं पर आधारित

तालिका 4 में कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यशील श्रम अनुपात को दिखाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में कार्यशील श्रम अनुपात का प्रतिशत 92.97 था जो बढ़कर 2011 में 111.36 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार 2001 से 2011 तक में 18.57 प्रतिशत की वृद्धि कृषि क्षेत्र के कार्यशील श्रमिकों में आयी। इसी प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में 2001 में कार्यशील श्रमिकों का प्रतिशत 88.21 था जो बढ़कर वर्ष 2011 में 112.47 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 2001 से 2011 की अवधि में 24.06 प्रतिशत कार्यशील श्रमिकों एवं भूमि उपयोग अनुपात में वृद्धि हुई।

वर्ष 2001 एवं 2011 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चाहे कृषि क्षेत्र हो या गैरकृषि क्षेत्र दोनों ही में कार्यशील श्रमिकों (जनसंख्या) की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है तथा भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उचित एवं उत्पादकतापूर्ण भूमि उपयोग (कृषि व गैर कृषि क्षेत्र में) एवं कार्यशील श्रम का उचित विदोहन आवश्यक हो गया है।

तालिका 5 : प्रति श्रमिक भूमि उपयोग (हेक्टर में)

कार्यशील श्रम विभाजन	कृषि क्षेत्र में	गैर कृषि क्षेत्र में
2001	0.37	0.43
2011	0.32	0.39

स्त्रोत : वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनाओं पर आधारित

उपरोक्त तालिका 5 में एक श्रमिक के द्वारा उपयोग में लायी जा रही भूमि की मात्रा को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में कृषि क्षेत्र में प्रति श्रमिक भूमि उपयोग 0.37 हेक्टर थी जो वर्ष 2011 में 0. 32 हेक्टर रह गयी। इस प्रकार वर्ष 2001 से 2011 तक के वर्षों में 0.05 हेक्टर भूमि प्रति श्रमिक कम हो गयी। इसी प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में वर्ष 2001 में 0.43 प्रतिशत भूमि व 2011 में 0.39 प्रतिशत भूमि प्रति श्रमिक थी अर्थात् 2001 की तुलना में 2011 में 0.04 प्रतिशत गैर कृषि भूमि प्रति श्रमिक कम हो गयी। इससे स्पष्ट होता हैं कि बढ़ती कार्यशील जनसंख्या के साथ भूमि उपयोग की मात्रा घटती जा रही है अर्थात् प्रति श्रमिक भूमि उपलब्धि कम होती जा रही है।

भारत, बिहार व भागलपुर जिले में कार्यशील श्रम अनुपात

भारत एक गर्म आर्द्र जलवायु वाला देश होने के कारण यहां 15–59 आयु वर्ग उत्पादक एवं आर्थिक कार्य सम्पन्न करने वाली जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। भारतीय जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र अर्थात् प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। यद्यपि द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है जो विकास का लक्षण है किन्तु यह वृद्धि संतोषजनक नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल श्रमिक (कार्यशील जनसंख्या) का 68.8 प्रतिशत कृषि व उससे सम्बन्धित व्यवसाय में, 13.5 प्रतिशत खनन व निर्माणी उद्योग में व शेष 17.7 प्रतिशत सेवाओं (जैसे– परिवहन, संचार, व्यापर, वाणिज्य व अन्य सेवाओं आदि) में लगा हुआ है।

भारतवर्ष की ही भांति बिहार में भी व्यावसायिक संरचना का स्वरूप अर्थात् कार्यशील जनसंख्या का वितरण परिलक्षित होता है परन्तु सम्पूर्ण भारत की तुलना में बिहार में द्वितीय और तृतीयक क्षेत्रों में परिवर्तन तेजी से हुआ है क्योंकि अनेक भागों में औद्योगिकीकरण व तेजी से अन्य राज्यों में पलायन हुआ है।

भारत एवं बिहार की तरह भागलपुर जिला भी कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। यहां का प्रमुख व्यवसाय कृषि है जिसमें काश्तकार 19.88 प्रतिशत तथा खेतिहर मजदूर के रूप में 48.22 प्रतिशत कर्मी लगे हैं, गृह उद्योगों में 7.06 प्रतिशत तथा शेष अन्य कार्यों में 26.42 प्रतिशत कार्यशील श्रम संलग्न है। इस प्रकार जिले की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना पिछड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक हैं जिसमें उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा अन्य तृतीयक सेवाओं का महत्व अति न्यून है। कृषि मजदूरों की अधिकता और उसमें भी महिलाओं की प्रधानता, निर्धनता भारत, बिहार व भागलपुर जिले में कार्यशील तथा गैर–कार्यशील जनसंख्या का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

तालिका 6 : भूमि उपयोग एवं कार्यशील श्रम अनुपात (प्रतिशत में)

वर्ष	भारत		बिहार		भागलपुर	
	कार्यशील जनसंख्या	गैर कार्यशील जनसंख्या	कार्यशील जनसंख्या	गैर कार्यशील जनसंख्या	कार्यशील जनसंख्या	गैर कार्यशील जनसंख्या
2001	39.10	61.90	29.27	70.73	32.38	67.62
2011	39.79	60.21	33.43	66.57	29.23	70.77

स्त्रोत : वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनाओं पर आधारित

तालिका 6 में भारत, बिहार व भागलपुर जिले के कार्यशील श्रम अनुपात को दिखाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में भारत एवं बिहार में कार्यशील श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः 39.1 प्रतिशत एवं 29.927 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर क्रमशः 39.79 एवं 33.43 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत एवं बिहार में वर्ष 1981 में बिहार में कार्यशील श्रम का प्रतिशत बढ़ा हुआ, जिसका मुख्य कारण जन्म दर में अधिकता रही, जिसके कारण 0–15 वर्ष तक के लोगों में अधिक वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप विकास अपेक्षित गति से प्राप्त नहीं हो सका। बिहार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में कार्यशील श्रमिकों के प्रतिशत के अनुसार चौथे क्रम पर रहा। कार्यशील एवं गैर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात व्यापरिक एवं आर्थिक संरचना की एक ऐसी प्रवृति प्रस्तुत करता है जिससे स्पष्ट होता है कि देश में उत्पादक कम, उपभोक्ता वर्ग अधिक है। जिससे पूंजी निर्माण एवं बचत कम होगी और इसका प्रभाव विकास पर बाधा के रूप में परिलक्षित हो रहा है। तालिका से स्पष्ट है कि बिहार की तुलना में भागलपुर जिले में कार्यशील जनसंख्या का अधिक है लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कम है। जिले में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कम हुआ है। वर्ष 2001 में जिले की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत 32.38 था जो वर्ष 2011 में घटकर 35.56 प्रतिशत हो गयी। इसका कारण कृषि क्षेत्र का कम होना है। जिसके कारण यहां के गरीब कृषक एवं कृषि श्रमिक अन्य रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों एवं राज्यों में पलायन कर रहे हैं।

भूमि उपयोग व कार्यशील श्रम अनुपात का प्रभाव

सामान्यतः भूमि उपयोग व्यावसायिक संरचना का भौतिक स्वरूप है। इस संरचना में प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि व कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय, द्वितीयक क्षेत्र जैसे लघु व कुटीर तथा विनिर्माणी उद्योग, तृतीयक क्षेत्र जैसे वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवायें, बैंकिंग व बीमा तथा शासकीय व अशासकीय सेवाओं में लगी भूमि उपयोग का बड़ा महत्व हैं। इन कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का भूमि उपयोग से अनुपात अध्ययन को एक नयी दिशा प्रदान करता है।

भागलपुर जिले के भूमि उपयोग एवं कार्यशील श्रम अनुपात के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस जिले में भूमि उपयोग व कार्यशील श्रम अनुपात में काफी असन्तुलन है। जिसके कारण यहां की कार्यशील जनसंख्या में छिपी (गुप्त) बेरोजगारी तथा अगतिशीलता विद्यमान है। इस जिले में कुल कार्यशील जनसंख्या का 70.34 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में इतनी मात्रा में जनसंख्या का उपयोग आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई देता है कि सभी को रोजगार प्राप्त हैं, कोई बेकार नहीं हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकांश व्यक्ति यद्यपि कृषि में लगे हैं किन्तु वहां उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है। अर्थात् छिपी या गुप्त बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विद्यमान है। यदि उन्हें कृषि उत्पादन से हटा दिया जाये तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात् इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मानव शक्ति बेकार हो रही है। जिसका अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है और इन्हें वास्तविक रोजगार भी दिया जा सकता है।

यद्यपि भागलपुर जिले में उद्योगों का विकास प्रारम्भ हुआ है किन्तु उनकी गति बहुत ही धीमी है। तृतीयक क्षेत्र में भी आशातीत विकास नहीं हुआ। अतः यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां क्षेत्रीय असन्तुलन विद्यमान है। अतः सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास किया जाना अनिवार्य है। द्वितीयक क्षेत्र लगभग स्थिर बना हुआ है जबकि इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनायें विद्यमान है। यदि असन्तुलन को दूर करना है तो द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास को गति देना अनिवार्य होगा, तभी प्राथमिक क्षेत्र से श्रम शक्ति को द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में लाकर उसका सही उपयोग किया जा सकता है और कृषि से जनसंख्या का दबाब भी कम किया जा सकता है।

भागलपुर जिला में यद्यपि कृषि की प्रधानता है। यहां कृषि एवं कृषि मजदूर के रूप में लगभग 48.32 प्रतिशत कुल कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है और इसमें भी कृषि क्षेत्र एवं कृषि मजदूर के रूप में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की अधिकता है, जो पिछड़ी एवं निर्धनतापूर्ण व्यावसायिक संरचना का द्योतक है। साथ ही अशिक्षा, गरीबी एवं अकुशलता के कारण इनमें गतिशीलता का अभाव है जिसके कारण इस क्षेत्र का विकास कम हो रहा है। साथ ही अनुत्पादक उपभोक्ता वर्ग का भार भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग पहले से ही निर्धन एवं गरीब है, उनकी निर्धनता और भी बढ़ती जा रही है।

अतः इन असन्तुलनों को दूर करके ही इस क्षेत्र में विकास की गति को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिये कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करना होगा एवं कृषि क्षेत्र में वर्तमान ज्ञात विधियों का व्यापक प्रयोग करना होगा तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के साथ–साथ तृतीयक क्षेत्र की ओर ध्यान देना होगा। यद्यपि इस क्षेत्र में 2001 की तुलना में 2011 में कृषि श्रमिकों का सापेक्षिक महत्व कम हुआ है और अन्य व्यवसायों का सापेक्षिक महत्व थोड़ा बढ़ा है जो स्वागतयोग्य प्रवृति है। लेकिन विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन की प्रवृति स्पष्ट हो रही है जिसे विकास के वास्तविक लाभ करने की दृष्टि से दूर करना आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

भागलपुर जिले के भूमि उपयोग एवं कार्यशील श्रम अनुपात के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस जिले में भूमि उपयोग व कार्यशील श्रम अनुपात में काफी असन्तुलन है। जिसके कारण यहां की कार्यशील जनसंख्या में छिपी (गुप्त) बेरोजगारी तथा अगतिशीलता विद्यमान है। इस जिले में कुल कार्यशील जनसंख्या का 70.34 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में इतनी मात्रा में जनसंख्या का उपयोग आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई देता है कि सभी को रोजगार प्राप्त हैं, कोई बेकार नहीं हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकांश व्यक्ति यद्यपि कृषि में लगे हैं किन्तु वहां उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है। अर्थात् छिपी या गुप्त बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विद्यमान है। यदि उन्हें कृषि उत्पादन से हटा

दिया जाये तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात् इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मानव शक्ति बेकार हो रही है। जिसका अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है और इन्हें वास्तविक रोजगार भी दिया जा सकता है। जिससे समाज/देश के विकास में सहायता मिलेगी।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, ए.एन. (1993). भारतीय कृषि का अर्थतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. 70.
2. सेसंस आफ इण्डिया–2011, बिहार, सीरीज 11, भाग XII B, जिला जनगणना पुस्तक, भागलपुर जिला, पृ. 14.
3. Clark, J.B. *(1886). The philosophy of wealth : economic principles newly formulated*, Boston, Ginn & Co., p. 9.
4. Census of India (2011). District Census Handbook Bhagalpur, 2011, Series-11, Part XII-B, p. 40.
5. Census of India (2011). District Census Handbook Bhagalpur, 2011, Series-11, Part XII-B, p. 15
6. अग्रवाल, डॉ0 एन.एल. (1993). भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. 119.
7. वही

डॉ. पुरूषोत्तम कुमार
स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर .

LBP PUBLICATION